कार्यकाल प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्रतिकृतिक प्र Subject: Forwarding of promotion proposals

प्रेषक

सेवा में

Will all the Financial-Commissioners/Commissioners Department U.O. No. con Invision was used to the Coverament, Haryana, kindly refer to this Department U.O. No. con Invision was used to the Coverament U.O. Coverament U.O. Coverament U.O. Coverament U.O. Coverament U.O. Coverament

- (1) समी विमागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल ।
- त्राच्या (2) सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल ग्रधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य । in the office of Commission as well as, in the Governments Bagartments aparti
 - (3) रिजस्ट्रार, पंजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ् perrooneo ent of bosuso inemassant

Commission The Commission has informed that delay takes 28.10.93 are sent are sent commission has informed that delay takes 28.10.93 are sent are sent to them without full details i.e. without uptodate-ACR files/record summaries or other relevant बिषय :- हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में से that the proposals, complete in all respects, in the prescrib of house of state of नियुनित Into the warpenbroose mintonessed Jerit of his procession of the

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर ग्रापका ध्यान संयुक्त पंजाब सरकार के परिपन्न ग्रशाः क्रमांक 1673-जी-II-56, दिनांक 22-3-1955 कमांक 2311/1 जी. एस. I-72/15727, दिनांक 26-5-1972, कमांक 5024-1 जी, एस. I-72/26877, दिनांक 8-9-72 तथा इस निमित समय-समय पर जारी की गई सरकार की हिदायतों की और दिलाऊं और यह कहं कि हरियाणा लाक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये उम्बीदवारों की स्वी की कितनी सीमा होनी चाहिये और उस सूची में से किस प्रकार नियुक्तियां की जानी चाहिये का मामला काफी समय से सरकार के विचाराधीन था । विचारोपरान्त ध्रव इन हिदायतों में निम्न प्रकार संशोधन करने का निर्णय लिया गया 表:--

- 1. प्रधीनस्थ सेवायें प्रवरण मण्डल की तरह हरियाणा लोक सेवा खायोध भी मूल सूची के छितरिक्त 25 रिक्तियों के लिये 25%, 25 से 50 रिक्तियों के लिये 15% और 50 से ऊपर की रिक्तियों के लिये 10 % और कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनायेगा और विभाग को मूल सूची के साथ इस प्रतिक्षा सूची को भी भेजेगा । हरियाणा लोक सेवा ग्रायोग ग्रपनी सिकारिश में यह त्यष्ट करेगा कि कितने उम्मीदवारों तक की सुची मूल सुची है और कितने उम्मीदवारों के बाद की सची प्रतीक्षा सुची है।
 - 2. हरियाणा लोक सेवा द्वायोग की मूल सूची (Original List) नेवल 6 मास तक वैध रहेगी और सभी विभाग मूल सूची में से रिक्तियां भरने की कार्यवाही 6 मास के श्रन्दर-श्रन्दर पूरी करेंगे, 6 मास के पश्चात मूल सूची की वैधता समाप्त हो जायेगी।
 - हरियाणा लोक सेवा ग्रायोग की प्रतीक्षा सूची मूल सूची के समाप्त होने के पश्चात 6 मास ग्रीर वैद्य रहेगी अर्थात उसकी वैधता कुल एक वर्ष तक होगी।
- ा 🕯 . प्रतीक्षा सूची में से नियुक्तियां तभी की जाएंगीं जब मूल सूची समाप्त हो जाएगी धौर प्रतीक्षा सूची में से केवल उन रिक्तियों को ही भरा जाएगा जो सूची प्राप्त होने की तिथि के 6 मास के अन्दर अन्दर उपलब्ध हुई हो । 6 मास के पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए ताजा मांग पन्न हरियाणा लोक सेवा बायोग को भेजा जाएगा।
- 5. पिछले काफी समय से सरकार के ध्यान में भ्राया है कि जहां चयन कई सेवाभ्रों के लिये संयुक्त परीक्षा/ ा ा । साक्षात्कार द्वारा किया जाता है और किसी सेवा की कोई रिक्ति किसी कारणवश नहीं भरी जाती या बाद में किसी कारणवण खाली हो जाती है तो अन्य सेवाग्रों के उम्मीटवार उस पद के लिये धपना हक

इसलिय यदि एसा किया जाए तो सारी सुची को पुन: सशोधित करना पृष्ठता है । इसलिये ये हिदाय उन केसों में लाग नहीं होंगी जहां चवन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा चाहे व एक सेवा के लिये हो या संग्रह सेवाओं के लिये। इस तरह के केवों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बना जाएभी ग्रीर हरियाणा लोक सेवा आयोग को साक्षात्कार के समय तक उपलब्ध होने वाली सूचित की ग िरिक्तियों के ब्रितिरिक्त यदि कोई ब्रीर रिक्ति उपलब्ध होगी या हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा भेड गई सूची में से किसी कारणवश भरी न जाए या बाद में किसी कारणवश खाली हो जाए, तो धगल भर्ती के लिये carry forward की जाएगी। यह हिदायतें वहां भी लागू नहीं होगी जहां नियमों कोई अन्य specific provision हो एकश्राम म (1) वान्योगि विवादीकारी

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें कृते: मुख्य सचिव, हिरयाणा सरकार । कार्याक कृते: मुख्य सचिव, हिरयाणा सरकार । कार्याक कि विकास कि वितास कि विकास कि विकास

All other terms and conditions laid by the government on the subject remain unchanged.

एक प्रति सचिव, हरियाणा लोक सेवा धायोग, चण्डीगढ़/ सचिव, हरियाणा अधीनस्थ सेवाये प्रवरण मण्डल व चुनार्थं एवं भावस्थक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं । on son where not most specified on the same of like sone where

ubject: - Ex-grafia grant and other facilities for families of Government employees who die while the drive in service waiving of receivery of the ser from compleyees holder/deed to Cheep SC and Group researe all & Cheep SC and Croup

> हस्ताक्षर संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें, कृते:-मृद्ध्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

indly acknowledge receipt

एक प्रति सभी विस्तायुक्त/ग्रायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेष for Chief Secretary to Covernment, Haryang &

A copy is forwarded to Accountant General Harvana, Chandigarh for information and

हस्ताक्षर संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें, कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

Superintendent, General Services Has it is for Chief Secretary to Government, Haryana. सभी वित्तायुक्त/ग्रायुक्त एवं सचिव, हरिवाणा सरकार ।

भशाा कमांक 66/32/88-7 जी 0एस 0 I विनांक, चण्डी गढ़ ा 28-10-93 ranch) with reference to their U O: Mg 15/4/85-WM (3) dated the April, 1985 for infor-

No. 16/3/85-365-4him tale Dated Chrodigary the Re-95-